

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग।

अधिसूचना

सं०-प्र०-1/ल०ज०सं०/स्था०(क०अ०)-23/15 खण्ड-A 188 /पटना, दिनांक:- 12.1.16

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार लघु जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग में भर्ती को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

भाग-I

1. **संक्षिप्त नाम,विस्तार एवं प्रारम्भ।**-(1) यह नियमावली "बिहार लघु जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली, 2015" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ।**— इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो:-
 - (i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,
 - (ii) "विभाग" से अभिप्रेत है, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार,
 - (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, लघु जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख अथवा विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य कोई पदाधिकारी,
 - (iv) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अथवा उसके कार्यरत होने तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
 - (v) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, बिहार लघु जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग,
 - (vi) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति,
3. **संवर्ग का गठन।**—बिहार लघु जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद कनीय अभियंता (असैनिक) होगा। इस पद के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा विनिश्चित वेतनमान एवं ग्रेड-पे देय होगा।
4. **स्वीकृत बल।**— इस संवर्ग का स्वीकृत बल समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।
5. **आरक्षण।**—बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित रोस्टर, संवर्ग में नियुक्ति करने तथा प्रोन्नति देने में लागू होंगे।

भाग-II
संवर्ग में नियुक्ति

6. **नियुक्ति।**— इस संवर्ग में प्रथम नियुक्ति सीधी भर्ती के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर होगी। इस पद पर प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा।
7. नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को रिक्तियों की गणना कोटिवार की जाएगी एवं तदनुसार विभाग के माध्यम से आयोग को 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अध्याचना भेजी जायेगी।
8. नियम-7 के तहत दी गई अध्याचना के आधार पर आयोग द्वारा, समय-समय पर, उस रीति से जैसा की वह उचित समझे, इस संवर्ग की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को, सीधी भर्ती द्वारा, नियुक्ति से भरने के लिये विज्ञापित करेगा।
9. **अहर्ताएँ।**—(1) इस संवर्ग में नियुक्त होने के लिए अहर्ता निम्नवत् होगी:—
- (i) सरकार के विशेष आदेश को छोड़कर, अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
 - (ii) अवर अभियंत्रण संवर्ग के लिए (असैनिक) अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी।
 - (iii) चयन हेतु तकनीकी योग्यता/अहर्ता:—
 - (क) **AICTE** से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत (असैनिक) अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता, जिसे **State Technical Board** से मान्यता प्राप्त हो, अथवा
 - (ख) **Deemed University under UGC Act** द्वारा निर्गत **Non- Distance Mode Diploma in Civil Engineering** अथवा समकक्ष योग्यता।
- (2) अध्याचना वर्ष के 1 ली अगस्त को अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय-समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए किन्तु संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय अभियंताओं (असैनिक) हेतु अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी।
10. **चयन की प्रक्रिया।**—(1) इस संवर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता (असैनिक) के पदों पर चयन डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक तथा साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के आधार पर आयोग द्वारा किया जायेगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम-(2) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जायेगी।

- (2) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न आधार पर तैयार की जायेगी— पूर्णांक
- (क) डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर — 60 अंक
- (ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) — 25 अंक
- (ग) साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) — 15 अंक
- कुल — 100 अंक
- (3) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट-ऑफ डेट की अवधि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

11. साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के अनुपात में, आयोग द्वारा विनिश्चित की जायेगी। आयोग द्वारा नियम-10 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं उसे सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित की जायेगी। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पैल एक वर्ष के लिए वैध होगा।

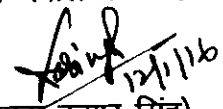
भाग-III **प्रोन्नति एवं वरीयता**

12. **प्रोन्नति।**— कनीय अभियंता (असैनिक) के पद से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली में विनिश्चित प्रावधानों के अन्तर्गत होगी।
13. **वरीयता का अवधारण।**— आयोग द्वारा अनुशंसित मेधाक्रमांक के अनुसार कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर वरीयता का अवधारण विभाग द्वारा किया जायेगा। पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कनीय अभियंताओं की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

भाग-IV
प्रकीर्ण

14. **अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील।**— (1) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय- समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील के मामले में, बिहार लघु जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग के सदस्यों पर लागू होंगे।
- (2) इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुपबंधित सेवा शर्तें बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्णयों से शासित होगी।
15. **कठिनाइयों का निराकरण।**— इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो।
16. **अवशिष्ट मामले।**—(1) इस संवर्ग के सभी अवशिष्ट मामले लघु जल संसाधन विभाग के प्राधिकार क्षेत्र में होंगे।
- (2) इस नियमावली में से किसी भी नियम के निर्वर्चन कोई संदेह की दशा में उसे विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा और जिस पर विभाग का विनिश्चय, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् अंतिम होगा।
17. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**—(1) इस संदर्भ में वर्तमान नियमों/ विनियमों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी वर्तमान नियमों/ विनियमों के अधीन किया गया अथवा की गयी कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गयी मानी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जब ऐसा कुछ भी किया गया अथवा ऐसी कार्रवाई की गई थी।

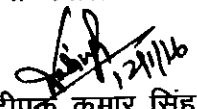
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

दिनांक:-

संख्या-प्र01/ल0ज0सं0/स्था0 (क0अ0)-23/15- /बिहार लघु जल संसाधन विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली-2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली-2015 का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

Date-

**BIHAR MINOR WATER RESOURCES DEPARTMENT SUBORDINATE
ENGINEERING(CIVIL) CADRE RECRUITMENT RULES-2015**

No.....In exercise of the powers conferred under the proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate the recruitment of Bihar Minor Water Resource Department Subordinate Engineering (CIVIL) cadre:-

Part-I

2. Short title, extent and commencement. -(1) These rules may be called the "BIHAR MINOR WATER RESOURCES DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (CIVIL) CADRE RECRUITMENT RULES-2015"

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in to force at once.

2. Definition.- In these rules, unless anything is not contrary to the subject or context-

- (i) "Government" means the Government of Bihar;
- (ii) "Department" means Minor Water Resources Department, Government of Bihar;

- (iii) "Appointing Authority" means the Engineer-in-Chief of Minor Water Resource Department or any other officer authorized by the department for this purpose;
- (iv) "Commission" means Bihar Technical Staff Selection Commission or Bihar Staff Selection Commission till its starts functioning;
- (v) "Cadre" means Bihar Minor Water Resource Department Subordinate Engineering (CIVIL) Cadre;
- (vii) "Member of Cadre " means all persons, regularly appointed and working under the provisions of these Rules.

3. Constitution of the kader.- Designations of the basic grade post under the Bihar Minor Water Resources Department Subordinate Engineering (CIVIL) Cadre shall be known as "Junior Engineer (CIVIL)". The pay scale and grade pay for this post, shall be admissible as determined by the Government from time to time.

4. Sanctioned Strength.- The Sanctioned Strength of this cadre shall be determined by the State Government, from time to time.

5. Reservation.- The provision of the Bihar Reservation of Vacancies in post and services(for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act-1991(as amended from time to time) and the Rules made there under and Roaster as prescribed by the State Government, from time to time, shall be applicable to the appointment and promotions in the cadre.

Part-II

6. Appointment.- First appointment in this cadre will be by direct recruitment to the post of Junior Engineer (CIVIL) There shall be no entry on this post on the basis of promotion.

7. The appointing authority shall calculate the category wise vacancies on 1st April of every year and accordingly , the reservation category wise requisition will be sent through the department to the Commission by 30th April of every year.

8. On the basis of requisition given under Rule-7, the Commission, by such manner as it may deem proper, shall advertise appointment against the reservation category - wise vacancies of this Cadre to be filled by direct recruitment.

9. Qualifications.-(1) Qualifications for appointment in this cadre shall be as follows:-

(i) A candidate must be a citizen of India except the special order of the Government.

(ii) For the subordinate Engineering Cadre, diploma or equivalent qualification holder in CIVIL engineering.

(iii) Technical qualification/eligibilities for selection:-

(c) Diploma or Equivalent qualification in(CIVIL) engineering issued by the institutes recognised by AICTE, which has obtained recognition from the State Technical Board or

(d) Non-Distance Mode Diploma in CIVIL engineering or equivalent qualification issued by Deemed University under UGC ACT.

(2) Age of applicant must not be less than 18 (eighteen) years as on first August of the year of requisition. Maximum age shall be within the reservation category wise limit determined by the State - Government (General Administrative Department) from time to time. But relaxation of maximum 10(ten) years will be admissible to the Junior Engineers (CIVIL) already employed on contract basis, in the maximum age- limit.

10. **Procedure of selection.**-(1) Selection to the posts of basic category of this cadre i.e. Junior Engineer (CIVIL) shall be made by the commission on the basis of percentage of marks obtained in Diploma or equivalent qualification as well as Interview(viva voce). Such candidates having experience of working on the post of Junior Engineer (CIVIL) on contract basis under the Government of Bihar or in any undertaking body/ corporation/ entity/ Authority/ autonomous body under the Government of Bihar, who fulfill the qualifications of the recruitment in this cadre, shall be given preference by giving additional marks according to sub rule(2) of this Rule.

(2) Merit list of candidates shall be prepared on the following basic:-

Full Marks

- | | |
|---|-------------|
| (a) On the basis of Percentage of marks obtained in Diploma (CIVIL) or equivalent qualification | - 60 |
| (b) Maximum weightage for the working experience on contract basis | - 25 |
| (Weightage of per working year shall be 5 marks maximum limit of which will be up to 25 marks. For part of any year, obtained Proportionate mark by dividing by 365 to the no. of working days in that year multiplying by number 5, will be added) | |
| (c) Interview (viva voce) | - <u>15</u> |

Total-100 Marks

- (3) Determination of working period on the contract basis shall be made on the basis of Payment Certificate issued by their respective controlling officers. For this, the period up to the cut off date mentioned in the

advertisement published by the Commission shall be calculated for the working experience.

11. Number of candidates called for Interview shall be determined by the Commission in Proportion to the vacancies. The Commission shall prepare final merit-list of selected candidates according to Rule-10 and shall recommend to the Government for appointment. The panel of candidates recommended by the Commission shall be valid for one year.

Part-III

Promotion and seniority

12. **Promotion.-** Promotion from Junior Engineer (CIVIL) to higher post will be as per provision made in Bihar Engineering service cadre rule.
13. **Determination of Seniority.-** Seniority of the Engineers holding the post of junior engineer (CIVIL) shall be determined by the department in accordance with the merit list recommended by the Commission. Seniority of already appointed and working junior engineers (CIVIL) shall be unaffected.

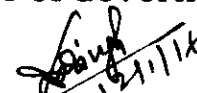
Part-IV

Miscellaneous

14. **Discipline, Control and Appeal.-** (1) The provisions of The Bihar Government servants (Classification, Control and Appeal) Rules - 2005 (as amended from time to time) shall apply to the member of The Bihar Minor Water Resources Department subordinate Engineer (CIVIL) Cadre in the matters of discipline, controls and appeals.

- (2) Service conditions particularly not provided under these rules, shall be governed by the Bihar Service Code and other decisions issued by the State Government, from time to time.
- 15. Removal of Difficulties.-** If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Rules, the government, after consultation with the Law Department may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not in-consistent with the provisions of these Rules, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
- 16. Residual matters. –** (1) All residual matters of this cadre shall be under the jurisdiction of Minor Water Resources Department.
- (2) In case of any doubt in the interpretation of any rule of these Rules, the same will be referred to the Department and the decision of the department, after consultation with Law Department, Shall be final.
- 17. Repeal and savings.-** (1) The existing rules & regulations in this context are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provision of existing rules/ regulation shall be deemed to be done or taken under the corresponding provisions of these Rules as if these Rules were come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By the order of Governor of Bihar


(Dipak kumar singh)
Secretary

Minor Water Resources Department

पांक:-प्र0-1/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-23/15 खण्ड-A 188 पटना, दिनांक:-12.1.16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-प्र0-1/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-23/15 खण्ड-A 188 पटना, दिनांक:-12.1.16

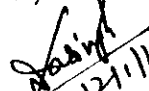
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, ई0 गजट कोषांग पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ लघु जल संसाधन विभाग को भेजने की कृपा की जाय।


(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

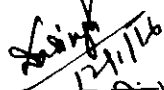
ज्ञापांक:-प्र0-1/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-23/15 खण्ड-A 188 पटना, दिनांक:-12.1.16

प्रतिलिपि:-राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/ विधान परिषद/ मुख्यमंत्री सचिवालय/ बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

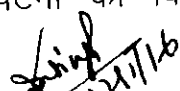
ज्ञापांक:-प्र0-1/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-23/15 खण्ड-A 188 पटना, दिनांक:-12.1.16

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/ अभियंता प्रमुख/उप सचिव/अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग,बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-प्र0-1/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-23/15 खण्ड-A 188 पटना, दिनांक:-12.1.16

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।